न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

न. मु. 137/21

1 पूनमचन्द पुत्र स्व. बेगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा तह. बीदासर जिला चूरू राज.

वादी

बनाम

1 नानुराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

2 कालुराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

3 मोहनलाल पुत्र स्व. बेगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

4 पॉचीराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

5 लिछमणराम पुत्र कुनणा पुत्री गोविन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

6 परमेश्वरी पुत्री कुनणा पुत्री गोविन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महो. बीदासर जिला चूरू राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88ए 188ए 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –

1 श्री मोहम्मद शाहिद वकील वास्ते वादी
2 श्री आमीन शेख एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी
3 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 14 –03 –2022

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम बैनाथां उमजी में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 172 रकबा 14.5181 हैक्टेयर (57–08बीघा), खसरा नम्बर 94 रकबा 2.4155 हैक्टेयर (9–11बीघा) संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त वादी, प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का सदामद से रहा है तथा हिस्सा पांती अनुसार वादगत भूमि पर काबिज काश्त है तथा एडवर्स पजेशन के रूप में परिवक्व हो चुका है वादगत खेत खसरान् की खातेदारी संवत् 2071–2074 की जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

मुताबिक नानूराम, पूनमचन्द, कालूराम, मोहनलाल, पॉचीराम, सोहनी, गोगा, लिछमा, धन्ना, पुत्रान पुत्रियां बेगाराम 1/4 हिस्सा ब. हि. ब. सोहनलाल, परमेश्वरलाल, जगदीश, शान्ती, मोहनी, कमला, माता धापू पुत्री गोविन्दराम 1/4 हि. ब. ब. हि. रामचन्द्र, लिछमणराम, परमेश्वरी, माता कुनणा पुत्री गोविन्दराम 1/4 हि. ब. हि. ब. इन्द्रचन्द, रामोतार, माता ज्याना पुत्री गोविन्दराम 1/4 हि. ब. हि. ब. कौम कुम्हार सा. दड़ीबा खातेदारान् के नाम खातेदारी का दर्ज रहा है लेकिन तत्समय भी कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 एक ता 4 चार का था वादगत भूमि प्रारम्भ से गोमदाराम के कब्जा काश्त में तथा गोमदाराम के स्वर्गवास के बाद गोमदाराम के एक मात्र पुत्र बेगाराम के कब्जा काश्त में रही है धापू कुनणा ज्यानी का नाम स्व. गोमदाराम के वारिसान होने की हैशियत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये थे लेकिन वादगत खसरा भूमि पर कब्जा काश्त धापू, कुनणा, ज्यानी का नहीं रहा और ना ही आज दिन है वादगत भूमि पर कब्जा काश्त स्व. बेगाराम के वारिस वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 एक ता 4 चार का है जिसमें उनकी पुख्ता पक्की बारहमासी ढ़ाणीयां मकान आदि बने हूए है, तारबन्दी की हुई है तथा प्रत्येक खातेदार हिस्सा पांती अनुसार अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त है वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पूर्वज दादा स्व. गोमदाराम ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त विवादित भूमि खेत खसरान् का विभाजन करके अपने एक मात्र पुत्र बेगाराम के वारिस वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का कब्जा काश्त कायम करवा कर पॉच हिस्सों में भूमि विभाजित करके अपने जीवनकाल में ही बन्टवारा करके पॉच हिस्सों मुताबिक सीवें कायम करवा दी थी तब से वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 अपने अपने हिस्सा पांती में आई भूमि पर काबिज है और बिना किसी उजर आपत्ति के काश्त कर रहे है हिस्सा पांती के बाबत कभी किसी खातेदार एवं स्व. गोमदाराम की पुत्रीयों धापू, कुनणा, ज्यानी के द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया और ना ही वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 4 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी की गई। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के रक्त संबधि भुवा स्व. धापू, स्व. कुनणा, स्व. ज्यानी उर्फ गुलमा के वारिसान द्वारा अपना खातेदारी हिस्सा जरिये तीन पंजीकृत दस्तबरदारी लेख पत्रान के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दस्तबरदारी लेख पत्रों आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाया जा चुका है जिसके बाबत कभी किसी के द्वारा किसी प्रकार की उजरदारी प्रस्तुत नहीं की गई। वादगत खसराजात की भूमि में प्रतिवादी सख्या 5 व 6 का नाम गलत और निराधार चला आ रहा है। प्रतिवादी सख्या 5 व 6 का विवादित खसराजात की भूमि में कभी कोई हित कब्जा या अधिकार नहीं रहा है कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सख्या 5 व 6 का नाम गलत और निराधार विधि विरूद्ध चल रहा है राजस्व

लगातार..... 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
दीनवर

Scanned by CamScanner

कर्मचारीयों की भूलवंश राजस्व रेकार्ड में नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त करवाने का वैधानिक अधिकार वादी को प्राप्त है वादगत भूमि अविभाजित है एवं वादगत भूमि के बाजार भाव बढ़ जाने के कारण प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 के मन में लालच आ गया है तथा पूर्वजों के वक्त से किये गये बन्टवारा का उल्लघन कर वर्षो पुरानी सीवों का नष्ट कर है तथा वादी के कब्जा काश्त एवं हिस्सा की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कुचेष्टा में लगे हूए है तथा प्रतिवादी सख्या 5 व 6 गलत खातेदारी की आड़ में मुझ वादी के कब्जा काश्त की हिस्सा भूमि पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है। वादी ने प्रतिवादीगण 1 ता 6 को उक्त राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवा लेने का निवेदन किया तो काफी समय तक उक्त प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। अन्त में दिनांक 09/8/2021 को प्रतिवादीगण ने वादगत खसराजात की भूमि के राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया और दिनांक 9/8/2021 को ऐलानिया धमकी दी की वादगत खसराजात में भले की हमारा कब्जा अधिकार नहीं हो फिर में हम गलत खातेदारी की आड़ में तुम्हारे कब्जा काश्त की भूमि को बैक के रहन रख देगे या भू माफिया लोगों को बेच देगे आदि आदि ऐलानिया धमकीया दी। प्रतिवादीगण भूमाफिया लोगो से साठगांठ रखने वाले बलशाली व्यक्ति है तथा किसी भी वक्त वादी के कब्जा काश्त की भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में विक्रय हस्तान्तरित कर सकते है तथा वादी को बैदखल कर सकते है इस कारण मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जो नोटिस से छूट लेकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस भूमि पर प्रतिवादी सख्या 5 एवं 6 का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा हो उनको किसी गलत अंकन के आधार पर वादी को उसके मालिकाना काबिजाना हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा। दावा आवश्यक प्रकृति का है वादगत भूमि रोही बैनाथा उमजी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिस पर कब्जा काश्त साधिकार पूर्वक वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 4 का चला आ रहा है जिससे मामला प्रथम दृष्टया सारवान है तथा वादी को वादाधार प्राप्त है दावा उचित न्याय शुल्क पर अविध भितर प्रस्तुत है आदि आदि प्रस्तुत किया।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तो तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 की और से श्री आमीन शेख एडवोकेट द्वारा राजीनामा प्रस्तुत। प्रतिवादी सख्या 6 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 7 पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित

लगातार.....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

किया। साक्ष्य वादी में वादी पूनमचन्द के नोटेरी से तस्दीक शुदा सशपथ बयान प्रस्तुत। वादी ने अपने वाद में समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श –1 ता प्रदर्श –3 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता इसलिए साक्ष्य वादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी स. 1 नानूराम ने नोटेरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र बतौर बयान प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। चुंकि वाद में किसी भी प्रतिवादी द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी नहीं की गई है इसलिए तनकीयात बरामद करने की आवश्यकता नहीं हुई। सम्पूर्ण रेकार्ड एवं पत्रावली व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दू है की वादगत खेतों की गलत खातेदारी के खण्डन में किसी भी प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार से विरोध नहीं किया गया है। पक्षकारान् ने अपने राजीनामा में विवादित खेत खसरो में कब्जा काश्त पूर्वजों के वक्त से होना ताहीद किया है। वादगत खेत खसरो पर कब्जा पुराना पुश्तैनी होकर एडवर्स होस्टाईल पजेशन के रूप में परिवक्त हो चुका है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ पूर्वक बयान भी किये है ऐसे में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं वाद को भी नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

आदेश

लिहाजा उपरोक्त वाद इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 172 रकबा 14.5181 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 2.4155 वाके रोही बैनाथा उमजी में प्रतिवादी स. 5, 6 का नाम राजस्व कर्मचारीयों की भूलवंश गलत दर्ज चला आ रहा है जिसको हटाया जाकर वादगत खेत की खातेदारी के वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 4 को ब. हि. बराबर खातेदार घोषित किये जाता है। इस अनुसार खातेदारी ब.हि.ब दर्ज की जाकर लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 के विरूद्ध चिर निशेधाज्ञा का आदेश दिया जाता है कि वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को अन्तिम डिक्री की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 14-03-2022 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

Scanned by CamScanner